न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 79 / 2017
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रीमती राजरानी आयु 50 वर्ष धर्मपत्नी स्व. श्री बलकारसिंह, खत्री सिख, चक 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. मंजीतसिंह आयु 32 वर्ष,
3. मोहनसिंह आयु 31 वर्ष एवं
4. बलकजीतसिंह आयु 30 वर्ष आत्मजन स्व. श्री बलकारसिंह, खत्री सिख, चक 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. श्रीमती जसवीरकौर उर्फ गुड्डी आयु 28 वर्ष आत्मजा स्व श्री बलकारसिंह धर्मपत्नी श्री जसवीरसिंह, रामेयाना तहसील जैतो जिला फरीदकोट(पंजाब)

.....आवेदकगण

बनाम

1. तारासिंह आत्मज श्री अर्जनसिंह, खत्रीसिख, चक 2 एल.एल. मार्फत–जसवन्तसिंह, बी.बार. माडॅल स्कूल के सामने, मीरां चौक के पास, श्रीगंगानगर,
2. अमरजीतसिंह आत्मज श्री तारासिंह, खत्रीसिख, चक 2 एल. एल. मार्फत– जसवन्तसिंह, बी.बार. माडॅल स्कूल के सामने, मीरां चौक के पास, श्रीगंगानगर,

.......अनावेदकगण

उपस्थिति– श्री राजेन्द्र ग्रोवर (आवेदक)
श्री भजनलाल टाक (अनावेदकगण)

दिनांक 27 नवम्बर, 2017

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 2 एल.एल. तहसील जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 83/84 में 2.416 हिस्सा कृषि भूमि आवेदकगण के नाम तथा 1.241 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर [illegible] हिस्सा खातेदारी दर्ज है. आवेदक संख्या 1 के पति व [illegible] संख्या 2 के पिता श्री बलकारसिंह आत्मज श्री [illegible] [illegible] अनावेदक संख्या 1 श्री तारासिंह द्वारा पजीकृत [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] कृषि भूमि क्रय की गयी थी. श्री [illegible] की दिनांक [illegible] 1988 को मृत्योपरान्त उनके नाम [illegible] कृषि भूमि का नामान्तरकरण आवेदकगण के नाम

पर बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किया गया है. आवेदकगण अपने हक, हिस्सा एवं स्वामित्व की संयुक्त खाता की कृषि भूमि में मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 1/2(0.190) हैक्टर मय खाला, किला नम्बर 2 से 24 प्रत्येक 0.253 हैक्टर एवं किला नम्बर 25(0.227) हैक्टर कुल 6.135 हैक्टर मय खाल में स्थित है, पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं. अनावेदकगण की उपरोक्त संयुक्त खाता में 3.720 हैक्टर के सहखातेदारान होने के कारण काबिज हैं. किन्तु अनावेदक संख्या 1 व 2 के पास अधिक कब्जा काश्त होने के कारण उनके द्वारा खाला रास्ता की सफाई एवं नाका की बंधाई को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न करते रहते हैं. कई बार आवेदकगण को अपने खेतों में फसल की देखभाल व सार सम्भाल करने जाने से भी रोकते हैं. अनावेदकगण आवेदकगण को उनके स्वामित्व की भूमि में फसल की बुवाई, कटाई, गुडाई के समय तरह तरह से हैरान परेशान करना और कभी पानी की बारी को अपने खेत में लगा लेना तथा कभी निकाल का हक न देना और इसके पीछे अनावेदकगण का आश्य रहता है कि आवेदकगण उनसे परेशान होकर उक्त भूमि कोढियों के भाव बेचान कर देवे इसी आश्य को पूरा करने के लिये अनावेदकगण जो परस्पर पिता–पुत्र हैं बदनीयती शुरू से ही रही है. वाद के विचारणकाल में अनावेदकगण को आवेदकगण के कब्जा काश्त की भूमि में आने जाने वाले रास्ते, पानी की बारी की सुविधा जिसमें खाल व नाका से स्वीकृत एवं मिली हुई है, में अवरोध उत्पन्न करने से अनावेदकगण को रोका नहीं गया तो आवेदकगण को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा वादपत्र का उद्देश्य ही समाप्त प्रायः हो जायेगा. इस प्रकार प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन आवेदकगण के पक्ष में तथा अनावेदकगण के विरूद्व विद्यमान है. इस प्रकार आवेदकगण द्वारा चक 2 एल.एल. के संयुक्त खाता संख्या 83/84 के मुरब्बा नम्बर 57 की 6.135 हैक्टर कृषि भूमि का विधिवत विभाजन होने तक आवेदकगण को खाला–रास्ता सम्बन्धी सुविधा में स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से अवरोध उत्पन्न करने, आवेदकगण की कृषि भूमि में हस्तक्षेप करने से निषिद्व किये जाने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070, श्री बलकारसिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 12 जून, 2000 एवं सरपंच, ग्राम पंचायत, चक 4 एल.एल.(ढींगावाली राठान) द्वारा जारी वारिसनामा दिनांक 25 जुलाई, 2000 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदकगण अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित.

अनावेदकगण को जवाब आवेदनपत्र हेतु यथोचित अवसर दिये जाने के बाद अनावेदकगण अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कथन करने पर जवाब आवेदनपत्र बन्द किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं क्रमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 के अनुसार चक 2 एल.एल. के संयुक्त खाता संख्या 83/84 मुरब्बा नम्बर 57 में आवेदकगण कुल 2.416 हैक्टर कृषि भूमि के निर्विवाद खातेदार हैं. आवेदकगण के नाम पर दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में हस्तक्षेप करने, उन्हें रास्ता–खाल एवं पानी की बारी के उपयोग एवं उपभोग में यदि अनावेदकगण द्वारा विधिवत विभाजन से पूर्व बाधा पहुंचायी जाती है तो निश्चित रूप से आवेदकगण को अपने स्वामित्व की कृषि भूमि को काश्त करने में असुविधा का सामना करना पड सकता है. इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में पाये जाते हैं.

अतः आदेश दिया जाता है कि, अनावेदकगण, संख्या 1, मूल वाद के निस्तारण तक, चक 2 एल.एल. के संयुक्त खाता संख्या 83/84 मुरब्बा नम्बर 57 के विधिवत विभाजन करवाने तक आवेदकगण की 2.416 हैक्टर कृषि भूमि में तथा आवेदकगण को उपलब्ध खाला–रास्ता, पानी की बारी के उपयोग एवं उपभोग में किसी भी प्रकार से स्वयं अथवा किसी भी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप करने से निषिद्व रहें.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष कैम्प न्यायालय– मदेरां में आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.